निर्माण शाखा के ... 1/9/15

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञापांक– पि0व0/गै0यो0–45–3/2014– 31 पटना, दिनांक– 02.09.2015

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2015–16 में जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास योजना के लिए राज्य योजना के तहत मधुबनी, नालंदा, भभुआ, बक्सर, शेखपुरा, बांका, जमुई एवं कटिहार जिलान्तर्गत निर्मित जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास के संचालन हेतु कुल रू० 2,73,84,144/– (रूपये दो करोड़ तिहत्तर लाख चौरासी हजार एक सौ चौवालिस) मात्र की अग्रिम निकासी की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

वित्तीय वर्ष 2015–16 में जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास योजना के लिए राज्य योजना के तहत जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास के संचालन हेतु सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में कुल रू० 9,00,00,000/– (रूपये नौ करोड़) मात्र का योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध किया गया है। तद्नुसार जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास के संचालन हेतु उक्त उपबंधित राशि रू० 9,00,00,000/– (रूपये नौ करोड़) से मात्र रू० 2,73,84,144/– (रूपये दो करोड़ तिहत्तर लाख चौरासी हजार एक सौ चौवालिस) का व्यय एवं भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– उक्त स्वीकृत राशि का व्यय भार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य योजनान्तर्गत मांग संख्या–11 के अंतर्गत आय–व्ययक शीर्ष "4225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण 277–शिक्षा–0101–आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोधार, विषयशीर्ष 21 01 सामग्री एवं पूर्तियाँ विपत्र कोड संख्या–P4225032770101 एवं राज्य योजना स्कीम कोड–BCW-5465 के अंतर्गत विकलनीय है।

3– जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावासों हेतु बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना को सामग्री एवं उपस्कर की आपूर्ति हेतु एजेंसी नियुक्त किया गया है। निगम द्वारा निर्धारित अवधि के अंतर्गत वित्तीय नियम का अनुपालन करते हुए सामग्री एवं उपस्कर की आपूर्ति एवं राशि के व्यय के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

2/9/2015

कृ०पृ०उ०

4– इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो इस राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.98 तथा पत्रांक–2218 दिनांक–16.03.02 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

इस राशि की अग्रिम निकासी कर बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सोन भवन, पटना को पी0एल0 खाता संख्या–240 (विपत्र कोड K8448001200021) के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे। उक्त स्वीकृत एवं अग्रिम निकासी की गयी राशि को प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सोन भवन, पटना के पी0एल0 खाता संख्या–240, जिसका विपत्र कोड–K8448001200021 है, में जमा करने की स्वीकृति दी जाती है। प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सोन भवन, पटना द्वारा इसका संव्यवहार (Transaction) नियमानुसार पी0एल0 खाता के माध्यम से किया जायेगा।

5– छात्रावासों में आपूर्ति की गयी सामग्रियों की विशिष्टियों एवं गुणवत्ता का सत्यापन उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जिला कल्याण पदाधिकारी एवं महा प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र की त्रिसदस्यीय समिति द्वारा किया जायेगा।

6– अंकेक्षण एवं लेखा विभाग के पदाधिकारियों को सुविधा के अनुसार लेखा का अंकेक्षण एवं परीक्षण का अधिकार होगा।

7– प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

8– प्रस्ताव पर विभागीय स्थायी वित्त समिति एवं विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार,

01/9/2015

(पंकज कुमार)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–पि0व0/गै0यो0–45–3/2014– 31 **पटना, दिनांक–** 02.09.2015

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/ लेखाशाखा (दोहरी प्रति में), पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना/सचिव के निजी सहायक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/उप सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

01/9/2015

सरकार के सचिव।